बिहार सरकार

आई.सी.डी.एस. निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

विज्ञापन संख्या-01/2023

इंदिरा भवन, आर.सी. सिंह पथ, बोरिंग रोड, पटना- 01

सेवानिवृत सांख्यिकी सहायक को संविदा पर नियोजन हेतु सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक- 10.07.2015 एवं आदेश संख्या- 15123 दिनांक- 07.11.2019 में निहित प्रावधान के तहत आई.सी.डी.एस. निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों/निदेशालयों एवं आई.सी.डी.एस. से सेवानिवृत इच्छुक सरकारी सांख्यिकी सहायकों को संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है :-

क्र0सं0	रिक्त पदनाम	पदों की संख्या	आरक्षण कोटि
1	सांख्यिकी सहायक	50	अनारक्षित- 20
			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 05
			अनुसूचित जनजाति- 01
			अनुसूचति जाति- 08
			पिछड़ावर्ग महिला-01
			अत्यंत पिछड़ा वर्ग- 09
			पिछड़ा वर्ग- 06

इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 30.09.2023 के अपराह्न 5.00 बजे तक आई.सी.डी.एस. निदेशालय को आवेदन भेज सकते हैं।

नियोजन की शर्तें :-

(1) नियोजन की अवधि प्रथम चरण में एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक जो भी पहले हो अथवा रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वत: समाप्त समझा जाएगा। इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा।

(1) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(2) किसी पद विशेष से सेवानिवृत सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(3) शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो।

(4) आवेदक पर निगरानी/विभागीय कार्रवाई का कोई मामला दर्ज नहीं हो तथा उस पर कोई गम्भीर आरोप विचाराधीन न हो। साथ ही किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज न हो।

(5) नियुक्ति की शर्तें, प्रक्रिया एवं पारिश्रमिक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-10000 दिनांक- 10.07.2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 3815 दिनांक- 11.03.2016 में दिये गये निहित प्रावधान के अनुसार होगा।

अन्य शर्ते :-

(1) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा दिनांक- 31.08.2023 को 63 वर्ष होगी। चयन प्रथमत: एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संविदा-अवधि विस्तार 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

(2) रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वत: समाप्त समझा जाएगा। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(3) संविदा पर नियुक्त कर्मियों के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकती है।

(4) अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के लिए अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(5) निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना को चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।

(6) किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में न्यायालय क्षेत्र पटना होगा।

आवेदन प्रमाण-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित/मूल प्रमाण पत्र भेजना अनिवार्य हैं। अपूर्ण भरा हुआ अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन तथा वर्णित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं रहने पर आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा :-

(1) आवेदन पत्र के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) आवेदक को नोटरी द्वारा निर्गत मूल प्रति में शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध कोई निगरानी मामला/विभागीय कार्यवाही/गम्भीर आरोप विचाराधीन/अपराधिक मामला दर्ज नहीं हैं और न हीं उन्हें किसी मुकदमें में सजा हुई हैं।

(3) जिस विभाग से सेवानिवृत हुए है उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) आवेदन के साथ पी0पी0ओ0 की छायाप्रति, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, सेवानिवृत संबंधित पत्र की छायाप्रति, शपथ पत्र मूल प्रति संलग्न अनिवार्य रूप से करना होगा।

आवेदन पत्र सभी प्रमाण-पत्रों के साथ विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 30.09.2023 के अपराह्न 5.00 बजे तक आई.सी.डी.एस. निदेशालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद तथा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। साक्षात्कार की सूचना आवेदक के मोबाईल या ई-मेल पर दी जायेगी।

ह० 4/9/23

निदेशक,
आई.सी.डी.एस. निदेशालय
बिहार, पटना।

आवेदन का प्रपत्र

आवेदक का अद्यतन स्व अभिप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

01. आवेदक का नाम (अंग्रेजी) :-

(हिन्दी) :-

02. पिता/ पति का नाम :-

03. पत्राचार का पता :-

04. स्थायी पता :-

05. जन्म तिथि :- | | | | | | | | |

06. सेवानिवृति की तिथि :- | | | | | | | | |

07. लिंग :- पुरूष [ ] महिला [ ] थर्ड जेण्डर [ ]

08. क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है? :-

यदि हॉ तो कोटि (जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित)

प्रमाण पत्र संलग्न करें

10. विभाग/कार्यालय का नाम जहॉ से सेवानिवृत हुए हैं :-

11. सेवानिवृति के समय पदनाम :-

12. आवेदक का अंतिम मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता की राशि :-

13. सेवानिवृति के समय पेंशन एवं महंगाई भत्ता की राशि :-

(पी0पी0ओ0 की छाया प्रति संलग्न करें)

14. चिकित्सा प्रमाण पत्र (सिविल सर्जन द्वारा निर्गत) :-

15. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला :-

वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित न हो (यदि हो तो विवरण)

16. सेवाकाल में/सेवानिवृति के पश्चात दण्ड की स्थिति

(i) सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड (यदि हॉ तो विवरण) :-

(ii) सेवाकाल के अंतिम 05 वर्षों में कोई लघु दण्ड (यदि हॉ तो विवरण) :-

(iii) पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड (यदि हॉ तो विवरण) :-

17. मोबाईल नम्बर / दूरभाष संख्या :- .... ई-मेल ....

P.T.O

18. अभ्यर्थी का सेवानिवृत्ति से पूर्व के पांच वर्षों की अवधि तक पदस्थापन की विवरणी :-

क्र.सं.	पदस्थापन अवधि	पदस्थापन कार्यालय का नाम	धारित पद का नाम

19. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक- 3815 दिनांक- 11.03.2016 में दिये गये सेवानिवृत सरकारी सेवकों के चयन हेतु अंकों का निर्धारण उनके अनुसूची-1 में प्राप्तांकों के आधार पर किये जाएगें।

उद्घोषणा :-

(क) एतद् द्वारा मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उक्त विवरणी मेरी जानकारी में सही है। यदि उपर्युक्त सूचना गलत पायी जाता / जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या- 10000 दिनांक- 10.07.2015 की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

स्थान :-

दिनांक :-

अभ्यार्थी का हस्ताक्षर